रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082026-275863
CG-DL-E-31082026-275863

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4607]	नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 2026/भाद्र 7, 1948
No. 4607]	NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 2026/BHADRA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4794(अ).— यत:, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (68 ऑफ 1988) की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (नया एनएच-44) के सलेम से मदुरै (किमी 207.600 से किमी 248.165, किमी 259.230 से किमी. 292.400, किमी. 306.400 से किमी. 446.800) खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, परवर्ती संशोधनों सहित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1856(अ) दिनांक: 29.07.2009 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा तमिलनाडु राज्य में एन एच-07 (नई सं. 44) के डिंडीगुल से समयानलूर के डिज़ाइन किमी 368.147 से किमी 421.196 तक (मौजूदा किमी. 373.275 से किमी. 426.60 तक) चार लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 43.162 किमी की निवल सड़क लंबाई (सारणी-2) और 0.187 किमी (1.87 किमी लंबाई वाली, [सारणी-4]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 9.70 किमी किलोमीटर लंबाई वाले बाईपास [सारणी-3] के लिए आधार दर का डेढ़ गुणा

दर से शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात

सारणी –1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी –2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	**लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है**	**जिस दर पर शुल्क लिया जाता है**
तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल जिले के कोझिनजिप्टी गांव में एनएच-44 के डिजाइन किमी.392.921 पर।	43.162 किमी (बाईपास की लंबाई जिसकी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक है और संरचनाओं की लंबाई 60 मीटर से अधिक को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा : -

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)**		**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	

तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल जिले के कोझिनजिप्टी गांव, एनएच-44 के डिजाइन किमी.392.921 पर।	कोदाई सड़क	डिजाइन किमी 393.221 (मौजूदा किमी.398.800)	डिजाइन किमी 396.821 (मौजूदा किमी 402.400)	3.60	28.3	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	वादीपट्टी	डिजाइन किमी.404.121 (मौजूदा किमी.409.700)	डिजाइन किमी 410.221 (मौजूदा किमी 415.800)	6.10	41.5	
बाईपास की कुल लंबाई (किलोमीटर में)				**9.70**		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई को राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का (चेनेज)अवस्थान	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**वह दर जिस पर शुल्क देय है**
तमिलनाडु राज्य में डिंडीगुल जिले के कोझिनजिप्टी गांव, एनएच-44 के डिजाइन किमी.392.921 पर।	0.187 ^	1.87	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^विवरण निम्नवत है:

क्र. सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	389.206.5	389.327.5	आरओबी-II	0.121
2	369.320	369.386	फ्लाईओवर	0.066
कुल लंबाई				**0.187**

4. गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के 2026 भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष-360 के लिए 27/- रुपए (रुपए तीन सौ साठ मात्र) है औरउक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी – 5		
संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यत की अवधि**
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की दो-तिहाई राशि	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त सारणी 1– यथा उल्लिखित आधार वर्ष .के लिए प्रति किमी 08-2007 शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अँग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1034.26 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, भविष्य में सुदृढ़ीकरण, क्षमता में वृद्धि इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. परियोजना-26016(12)/2/2026- पीआईयू मदुरै/ ई -267520]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 4794(E).— Whereas, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.0.465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act,1988 (68 of 1988, the Central Government had entrusted the stretches of Salem to Madurai section (from Km. 207.600 to Km. 248.165, Km. 259.230 to Km. 292.400, Km. 306.400 to Km. 446.800) of National Highway No.07 (New NH- 44) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1856(E) dated 29.07.2009, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column(2) of the Table 1 for net road section length of 43.162 Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.187 Km (having length of 1.87 Km) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 9.70 Km (Table 3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) Table-1 below for use of four laning of Dindigul to Samayanallur section from design Km. 368.147 to Km. 421.196 (existing Km. 373.275 to Km 426.60) of NH-07 (New No.44) in the State of Tamil Nadu and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of Vehicle	**Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (In Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicles, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three - axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or More Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

Table-2		
Location of Fee Plaza(chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At design Km.392.921 of NH-44, Kozhinjiptti Village, Dindigul District in the state of Tamilnadu.	43.162 Km (Excluding length Bypass costing ≥ 10Cr. & length of structures more than 60m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

Table-3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional Fee is payable (Excluding length of structure > 60m length)**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At design Km.392.921 of NH-44, Kozhinjiptti Village, Dindigul District in the state of Tamilnadu.	Kodai road	Design Km 393.221 (Existing Km.398.800	Design Km.396.821 (existing Km 402.400)	3.60	28.3	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Vadipatti	Design Km.404.121 (Existing Km.409.700	Design Km.410.221 (existing Km 415.800)	6.10	41.5	
Total bypass length in (Km)				**9.70**		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At design Km.392.921 of NH-44, Kozhinjiptti Village, Dindigul District in the state of Tamilnadu	0.187 ^	1.87	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

S. No	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in Km)**
	From Km	**To Km**		
1	389.206.5	389.327.5	ROB-II	0.121
2	369.320	369.386	Flyover	0.066
Total length				0.187

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.360/- (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27, and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the Fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1034.26 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. PROJ-26016(12)/2/2026-PIU Madurai/ E-267520]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.08.31 13:19:57 +05'30'